न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–45/2015–16

महेन्द्र सिंह बनाम राज्य एवं मनोरमा देवी

(Under Section 8 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

28/5/18

आदेश

यह पुनरीक्षण वाद, दाखिल खारिज अपील वाद सं0 250/2014–15 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के द्वारा दिनांक 24.08.2015 को पारित आदेश के विरूद्ध लाया गया है।

विवादित भूखण्ड का विवरण

अंचल	मौजा	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा
1	2	3	4	5	6
दुल्हिन बाजार	भिमनीचक	237	03	355	$93\frac{3}{4}$ डी0

इस न्यायालय में वाद की प्रविष्टी के पश्चात विपक्षी मनोरमा देवी को नोटिस दी गयी। विपक्षी मनोरमा देवी की तरफ से दिनांक 07.09.2016 को वकालतनामा दाखिल किया गया। विपक्षी मनोरमा देवी को अनेक अवसर दिए जाने के बाद भी उनकी तरफ से प्रतिउत्तर दायर नहीं किया गया। कलान्तर में विपक्षी मनोरमा देवी के द्वारा पैरवी करना भी छोड़ दिया गया। फलतः एक पक्षीय सुनवाई कर आदेश पारित किया जा रहा है।

आवेदक का कहना है कि

(1) प्रश्नगत भूखण्ड मौजा–भिमनीचक, थाना नं0 237, खाता नं0 03, खेसरा नं0 355, रकवा 5.56 एकड़ सर्वे खतियान में बकास्त मालिक दर्ज है, जिसके मालिक बाबु बलधारी सिंह थे।

(2) भूतपूर्व जमीन्दार बलधारी सिंह के दो पुत्र जंगधारी सिंह एवं रणधारी सिंह हुए। जंगधारी सिंह के द्वारा साल 1346 फसली में अन्य भूखण्ड के साथ प्रश्नगत खाता, खेसरा का 2.78 एकड़ हुकुमनामा से बिलट गोप को लिख दिया गया। जमीन्दारी लगान रसीद निर्गत की गयी।

(3) जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात बिलट गोप का नाम बिहार सरकार के सरिस्ता में दर्ज हुआ। बिलट गोप की मृत्यु के उपरान्त उनके पुत्र महेन्द्र यादव प्रश्नगत भूखण्ड पर दखल में आये। महेन्द्र यादव के मृत्यु के उपरान्त उनके पुत्र विश्वनाथ यादव प्रश्नगत भूखण्ड पर दखलकार हुए तथा उनके नाम से लगान रसीद निर्गत की जाने लगी।

(4) विश्वनाथ यादव के द्वारा दिनांक 21.07.2011 को अन्य भूखण्ड के साथ विवादित भूखण्ड का मोख्तारनामा हीरा प्रसाद वर्मा एवं महेन्द्र सिंह को मिला। उक्त मोख्तारनामा के आधार पर महेन्द्र सिंह प्रश्नगत भूखण्ड

पर दखल में आये।

(5) प्रश्नगत भूखण्ड पर रमा देवी के द्वारा विवाद किये जाने की स्थिति में आवेदक के द्वारा सब जज दानापुर के न्यायालय में टाईटिल सूट नं0 313/2011 दायर किया गया, जिसमें रमा देवी उपस्थित नहीं हुयी तथा वर्तमान में स्थानांतरित होकर सब जज पालीगंज के न्यायालय में लम्बित है।

(6) व्यवहार न्यायालय में टाईटिल सूट लम्बित रहते हुए रमा देवी के द्वारा दिनांक 03.11.2014 के कबाला से मनोरमा देवी को बिक्री कर दिया। रमा देवी को उक्त भूखण्ड बेचने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि उनके पूर्वज जंगधारी सिंह के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड का हुकुमनामा बिलट गोप को दिया जा चुका था।

(7) दाखिल खारिज वाद सं0 935/2014–15 के अन्तर्गत अंचलाधिकारी, दुल्हिनबाजार के द्वारा मनोरमा देवी का आवेदन स्वत्व वाद लम्बित रहने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया। मनोरमा देवी के द्वारा अंचलाधिकारी, दुल्हिनबाजार के आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद सं0 250/2014–15 दायर किया गया।

(8) भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के द्वारा अंचलाधिकारी, दुल्हिनबाजार के विधि सम्मत आदेश को निरस्त करते हुए अपील स्वीकार कर ली गयी।

(9) भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं0 250/2014–15 में दिनांक 24.08.2015 को पारित आदेश निरस्त करने योग्य है।

आवेदक के द्वारा निम्न कागजात की छाया–प्रति दाखिल की गयी है।

(1) दिनांक 21.07.2011 का मोख्तारनामा
(2) भूतपूर्व जमीन्दार का सादा हुकुमनामा
(3) जमीन्दारी रसीद
(4) बिहार सरकार की लगान रसीद
(5) भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र
(6) सर्वे खतियान
(7) दाखिल खारिज अपील वाद सं0 250/2014–15 का आदेश

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजात के परिशीलन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूखण्ड को लेकर व्यवहार न्यायालय में स्वत्व वाद सं0 313/2011 लम्बित है। दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–6(12) में स्पष्ट है कि होल्डिंग या उसके भाग के दाखिल खारिज के वैसे मामलों में स्वीकृति नहीं दी जायेगी, जिसमें होल्डिंग या उसके भाग के संबंध में सक्षम न्यायालय में स्वत्व वाद लम्बित है। अंचलाधिकारी, दुल्हिन बाजार के द्वारा इसी नियम के तहत दाखिल खारिज का आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया, परन्तु भूमि सुधार

उप समाहर्ता, पालीगंज के द्वारा इस महत्वपूर्ण बिन्दु को नजर अंदाज करते हुए अपील स्वीकृत कर ली गयी। इस प्रकार भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज का आदेश अनुचित एवं दोषपूर्ण है।

सम्यक विचारोपरान्त दाखिल खारिज अपील वाद सं० 250/2014-15 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के द्वारा दिनांक 24.08.2015 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए पुनरीक्षण आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

आदेश की प्रति भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज एवं अंचलाधिकारी, दुल्हिनबाजार को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

3/5/18

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना

3/5/16

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना

Mutation 45-15-16.docx(गणेश)